

1.

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 165/2025

1. मांगीलाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. रणवीर पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन 12 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— वादीगण

:- बनाम :-

1. बुधराम पुत्र बीरबल जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. मनीषा पत्नी रणवीर जाति बिश्नोई साकिन 12 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. शारदा पुत्री बुधराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. निर्मला पुत्री बुधराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 बाबत घोषणा व खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 29/9/25

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा व खाता विभाजन किया जाता है:-

क. वादी सं. 1 मांगीलाल :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
12 पीबीएन	28/299	16 ता 25	2.530 हैक्.
	29/299	18/.063 पश्चिमी, 19 ता 22	
		23/.064 पश्चिमी	1.139 हैक्.
		कुल तादादी	3.669 हैक्.

ख. वादी सं. 2 रणवीर को 2.783 हैक्., प्रतिवादी सं. 2 मनीषा को 0.759 हैक्.:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
12 पीबीएन	29/299	13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1	

3
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

	16/2, 17, 18/.190 पूर्वी,	
	23/.189 पूर्वी, 24, 25/1, 25/2	2.024 हैक्.
29/300	3 ता 5	0.759 हैक्.
30/300	1 ता 3	0.759 हैक्.
	कुल तादादी	3.542 हैक्.

ग. प्रतिवादी सं. 1 बुधराम:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
12 पीबीएन	29/294	5 ता 8, 9/3	1.101 हैक्.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होंने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होंने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होंने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होंने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 29/9/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

3
(उमा मित्तल
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा)
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा